(13)		(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for selection and for confirmation) consisting of :		Not applicable.
1. Deputy Inspector General (Medical) Border Security Force	—Chairman	
2. Commandant, Border Security Force	—Member	
3. Chief Medical Officer/ Senior Medical Officer/ Medical Officer Border Security Force	—Member	

[F. No. 17/05/2006-Pers/BSF/Pt File]

BARUN KUMAR SAHU, Director (Personnel)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 124.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग स्वागतकर्ता समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उनका संबंध स्वागतकर्ता के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग में स्वागतकर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग स्वागतकर्ता समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	ग्रेड वेतन और वेतन बैंड	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्वागतकर्ता	01*(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	9300-34800/रु. और ग्रेड वेतन 4200/ रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन ।	**प्रतिनियुक्ति या आमेलन :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 2800/रु. के ग्रेड वेतन वाले 5200-20200/-रु. के वेतन बैंड या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ख) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचेलर डिग्री या समतुल्य रखते हों । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए—1-1-2006 उस तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में इसके सिवाय सेवा समझी जाएगी जहां सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलयन किया गया है और जहां यह फायदा केवल ऐसे पद (पदों) पर विस्तारित किया गया हो जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना प्रसामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 39021/01/2009-स्था. (बी)]

श्रीमती सती मोहनदास, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 19th August, 2009

G.S.R. 124.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission, Receptionist Group 'B' Post Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Receptionist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Receptionist in the Office of Union Public Service Commission, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission Receptionist Group 'B' Post Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons, to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Receptionist.	01(2009) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 9300-34800 and Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)	(12)
Deputation or Absorption.	**Deputation or Absorption : Officers of the Central Government;** (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or Department; or (b) possessing a Bachelors Degree from a recognised University or equivalent. **Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2 :** For the purpose appointment on deputation or absorption. The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 39021/01/2009-Estt. (B)]

SMT. SATI MOHANDAS, Under Secy.